न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 7, प्रयागराज।
प्रकीर्ण वाद संख्या 255/2022
अतुल पाल बनाम मोनिका पाल
अंतर्गत धारा 340 दं.प्र.सं.
थाना करैली, प्रयागराज।

दिनांक–07.05.2024

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दं.प्र.सं.</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दं.प्र.सं. पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक द्वारा संक्षेप में कथन किया गया है कि वह परिवाद संख्या 227/2021 अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम में विपक्षी है तथा उपरोक्त परिवाद में परिवादिनी ने उसके विरुद्ध तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त परिवाद में परिवादिनी को पता है कि विपक्षी/आवेदक की कोई आय नहीं है, वह बेरोजगार है और अपने पिता पर निर्भर है तथा वह गंभीर बीमारियों से लड़ रहा है। फिर भी अपने लक्ष्य के लिए परिवादिनी/विपक्षी ने परिवाद में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी/परिवादिनी स्वयं अपनी आय से धन अर्जित कर रही है जिसका विवरण परिवाद पत्र में दिया गया है किंतु परिवादिनी ने उसे जानबूझकर छिपाया है। परिवादिनी ने न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दिया है तथा न्यायालय के साथ कूटरचना, धोखाधड़ी तथा छल किया है। विपक्षी स्वयं डाक्टर रितु कपूर की क्लीनिक में नौकरी करती है जिससे वह लगभग 10,000/– रुपये प्रतिमाह अर्जित करती है एवं वह अपनी मां के साथ कई घरों में काम करती है जिससे उसकी आमदनी 10–15 हजार रुपये की होती है। प्रार्थना की है कि उपरोक्त आधार पर विपक्षी/परिवादिनी के विरुद्ध कार्यवाही अंतर्गत धारा 340 दं.प्र.स. अग्रसारित किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभयपक्ष के मध्य परिवाद संख्या 227/2021 मोनिका पाल बनाम अतुल पाल अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम विचाराधीन है। उपरोक्त पत्रावली में मोनिका पाल/विपक्षी द्वारा शपथ पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतुल पाल के कथनानुसार मोनिका पाल ने यह तथ्य छिपाया है कि अतुल पाल बेरोजगार है वह अपने पिता की आय पर निर्भर है। उल्लेखनीय है कि स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था रजनीश बनाम नेहा व अन्य (2021) 2 SCC 324 में अवधारित किया गया था कि पक्षकार अपने अपने शपथ पत्र दाखिल करेंगे क्योंकि अमूमन यह देखा गया है कि पक्षकार अपनी आय को छिपाते हैं तथा दूसरे पक्ष की आय को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार की सटीक जानकारी होती भी नहीं है। अतः ऐसी दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक पक्ष को अपनी आय की स्थिति से अवगत कराने हेतु शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया था।

वर्तमान मामले में अतुल पाल का यह कथन कि मोनिका पाल ने यह छिपाकर कि अतुल पाल बेरोजगार है, न्यायालय के साथ छल एवं कूटरचना की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में यह न्यायालय आवेदक अतुल पाल के कथनों से पूर्णरूप से असहमत है।

अतुल पाल द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मोनिका पाल स्वयं दूसरों के घरों में कार्य करती है, डाक्टर रितु कपूर की क्लीनिक मे भी नौकरी करती है। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

तदनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या 7, इलाहाबाद।